

717

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-13/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7/07/2022

डी.आई.जी. (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़

नई दिल्ली -110003।

विषय:- Proposal for non-forestry use of 255.3 ha of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for relocation of villages in Mungeli Forest Division from the core area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) -reg.

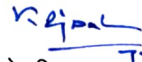
- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013-FC(pt), दिनांक 13.12.2021।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-818/939, दिनांक 19.04.2022।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्र./व.प्रा./स्टेनो/प्रबंध-56/2366, दिनांक 17.06.2022।

---00---

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/- उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-13/2020/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7/07/2022
प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


अवर सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

फॉर्मी नं० ८३३
1201/10-2/वन
25/4/2020

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

अधिक गहरे

कार्या. प्रमुख सचिव वन एवं जल परि. विभाग
क्रमांक / 349
दिनांक / 22-04-22

$$v_s(z)/s_0$$

25/04/22

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
ii.	The area to be vacated shall be mutated in the name of State Forest Department and notified as RF/PF.	ए.टी.आर के कोर एरिया से रिक्त की जा रही क्षेत्र पूर्व से आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित हैं। अतः वन विभाग के नाम से नामांतरण एवं आर.एफ./पी.एफ. के रूप में अधिसूचना कराने की आवश्यकता नहीं है।
iii.	State Government shall ensure that the area under the three villages that are proposed to be shifted outside the Achanakmar Tiger Reserve (ATR) will become inviolate after the shifting and not a single family, person or household is left within any of these villages for further relocation.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-2)।
iv.	The State Govt. shall submit the approved R&R Plan from the concerned authority. and	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी छत्तीसगढ़ के संदर्भ पत्र 3 से प्राप्त R&R Plan की प्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।
v.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-4)।

B. Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department and undertaking in this respect shall be submitted prior to Stage-II approval.

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i.	Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the state in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 and Ministry's Guidelines dated 20.05.2019.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-5)।
ii.	State Government shall take effective steps to ensure that the villagers who are being relocated from the core area, do not return to the area.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-6)।
iii.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-7)।
iv.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)।
v.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986, if required.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
		टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-9)।
vi.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)।
vii.	The forest land proposed to be diverted may be transferred by the State Government to villagers being rehabilitated.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)।
viii.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)।
ix.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-13)।
x.	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wild life.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-14)।
xi.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project, and	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-15)।
xii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)।

अतः प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, नई दिल्ली को लेख करने का कष्ट करें।
संलग्न :- संलग्नक 1 से 16 तक एवं
संदर्भ पत्र-3 की छाया प्रति मय संलग्नक (2 प्रतियों में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-818/ 940

रायपुर, दिनांक 19/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व कोनी, बिलासपुर।
4. उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला मुंगेली।
5. वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वन मण्डल, मुंगेली।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

709

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता
संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़**

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

✉ pccfwi-cg@cg.gov.in, cwlwcg@gmail.com

(☎0771-2512880, ☎0771-2512853)

क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/प्रबंध-56/ **2366**
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 17/06/2022

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पंजी क्रमांक 7-L-482
/201/10-2/वन
दिनांक 21.06.2022

विषय :- Proposed for non-forestry of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of village in Mungeli Forest Division from the core area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) - regarding.

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 5-13/2020/10-2 दिनांक 12.5.2022.

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से R&R Plan के संबंध में तीन बिन्दुओं पर चाही गयी जानकारी उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी के पत्र क्र. 2320 दिनांक 19.5.2022 द्वारा दी गयी है जो मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन एवं क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर के पत्र क्र. 1973 दिनांक 23.5.2022 द्वारा अनुशंसित है। उक्त पत्र में दी गयी जानकारी से सहमत होते हुए छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

DISC
17 JUN 2022

urgent
US(R)/OSD(N) TL
(old day)
कृपया संबंधित
नस्ती पर अग्रिम
प्रस्ताव करें।

OSD

21.6.22

कार्यालय, उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व,
लोरमी—जिला मुंगेली (छ.ग.)

www.tigersofachanakmar.org, Email:ddatr_bsp@rediffmail.com,

क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/2320
प्रति,

/लोरमी/दिनांक 19/05/2022

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन
और क्षेत्रीय निदेशक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- Proposed for non-forestry of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Directro Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of villages in Mungeli Forest Division from th Core Area of ATR in Bilaspur District.
संदर्भ- अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक /एफ 5-13/2020/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/05/2022

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहदटा के व्यवस्थापन हेतु भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव के द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रतिवेदन R&R Plan के संबंध में चाही गई बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

(I) R&R Plan किस नियम के तहत बनाया गया है ? यह Plan उक्त नियमानुसार बना है अथवा नहीं? कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के गाईडलाईन F No. 3-1/2003-PT (Relocation) Feb 2008 Format for preparation of village relocation plan from core/critical tiger habitats में दिये गये निर्देशानुसार R&R Plan तैयार किया गया है, उक्त Plan उक्त दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही तैयार किया गया है।

(II) उक्त R&R Plan बनाने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है?

उक्त R&R Plan बनाने हेतु उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.) सक्षम अधिकारी है।

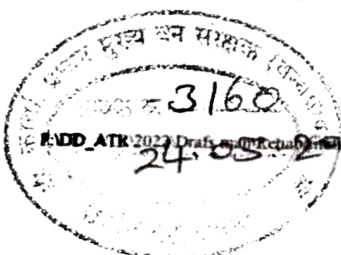
(III) क्या R&R Plan सक्षम अधिकारी से अनुमोदित है ? इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करावें।

R&R Plan सक्षम अधिकारी मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा अनुमोदन उपरांत कार्यालयीन पत्र क्र/ व.प्रा./व्यय/2021-22/2932 बिलासपुर दिनांक 02/11/2021 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को प्रेषित किया गया (पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है)।

अतः उपरोक्तानुसार 03 बिन्दुओं में चाही गई वांछित जानकारी तैयार कर आवश्यक कार्यवाही

हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



अ.प्र.मु.व.स. (वन्यप्राणी)
छ नं. रायपुर

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)

315

प०क्र०/व.प्रा./स्टेनो/2022/2321

लोरमी/दिनांक 19/05/2022

- प्रतिलिपि :- (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग., रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
- (2) मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
- (3) वनमण्डलाधिकारी मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक

अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला-मुंगेली



कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक
अचानकमार टाईगर रिजर्व, कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

Email : fielddir_atn@rediffmail.com, wildlifecb@gmail.com, Ph./Fax No. (O) - 07752-296104

क्रमांक/व.प्रा./तक.अधि./2022/1973

बिलासपुर/दिनांक 23/05/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी प्रबंधन सह जैव विविधता
संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक)
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
प्रथम तल (एफ.आर.) वन मुख्यालय, अटल नगर
नवा रायपुर, (छ.ग.)

विषय :- Proposed for non-forestry of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Resrve (ATR) for Relocation of village in Mungeli Forest Division from the Core Area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh)- regarding.

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ/5-13 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.05.2022.

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मुंगेली जिला अंतर्गत Core Area Achanakmar Tiger Resrve (ATR) रकबा 255.300 हे. वन क्षेत्र के व्यवस्थापन प्रकरण में अवर सचिव, छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर द्वारा बिन्दुवार अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज चाहे गये हैं।

अतः अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत संदर्भित पत्र में R&R Plan के संबंध में चाही गयी जानकारी/दस्तावेज उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से प्राप्त की गई, जो मूलतः अनुशंसा सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीवन

और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टाईगर रिजर्व
बिलासपुर (छ.ग.)

पू. क्रमांक/व.प्रा./तक.अधि./2022/1974

बिलासपुर/दिनांक 23/05/2022

प्रतिलिपि :- (1) अवर सचिव, छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

(2) मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वन मण्डल, मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीवन

और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टाईगर रिजर्व
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रमुख स. (वन्यप्राणी)

छ.ग. रायपुर

D:/d/f/Memo/DM Memo 2022

अप्रमुख स. (वन्यप्राणी)

छ.ग. रायपुर

Page 207